



आरोग्य सेवा संचालनालय

(महाराष्ट्र राज्य)

" आरोग्य भवन ", सेंट जॉर्जेस रुग्णालय आवार, पी.डिमेलो रोड, मुंबई - ४०० ००१



कार्यालय	दूरध्वनी	Website : http://arogya.maharashtra.gov.in Email : dhs_2005@rediffmail.com
संचालक (वैयक्तिक)	२२६२१०३१-३६	Email : dhs_epi@rediffmail.com
सहसंचालक (रुग्णालये-राज्यस्तर)	२२६२१००६	Fax No. 022- 22620234 (DHS)
सहसंचालक (प्राआकेंद्र-जिपस्तर)	२२६११४७१	022- 22679044(Hosp.)
सहसंचालक (असंसर्गजन्य रोग)	२२६२०२४९	022-22622155(CAO)
सहसंचालक (खरेदी कक्ष)	२२६२११८६	022-22703785(Control Room)
सहसंचालक (अर्थ व आस्थापना)	२२६२६२८२	022-22621047 (NCD)
	२२६२६७५५	022-22625799(Procurement Cell) ३६८८-८०
		क्र :संआरेस/एमआयएस/एक पालक/अवि.मा. ज.नो/कक्ष १८/ /२०१५ दिनांक : ४७.१२.२०१५.

प्रति,
उपसंचालक आरोग्य सेवा, (आमाजिआ),
तथा उपमुख्य निवंधक, जन्म व मृत्यु
महाराष्ट्र राज्य, पुणे ४११००१

विषय :- दत्तक बालाकांच्या नोंदणीवाबत....

संदर्भ :- मा. महानिवंधक भारत सरकार, नवी दिल्ली यांचे हिंदी पत्र क्र.१/७/

२०११-व्हीएस- (सीआरएस)/ ६१८ दि. १५.५.२०१५

उपरोक्त विषयी संदर्भीय पत्रानुसार मा. उपमहानिवंधक (सीआरएस), भारत सरकार, नवी दिल्ली यांनी दत्तक बालकाच्या जन्म नोंदणीवाबाबत मार्गदर्शक सुचना निर्गमित केलेल्या आहेत.

सदर सुचना राज्यातील सर्व निवंधक, जन्म व मृत्यु, कार्यालयास कळविण्यात यावे व केलेल्या कार्यवाहीवाबत या संचालनालयास अवगत करावे.

सोबत :- संदर्भीय पत्र


 संचालक
 आरोग्य सेवा, मुंबई ४०००८८

प्रत माहितीस्तव सादर :- मा.उपमहानिवंधक (सीआरएस), भारत सरकार, नवी दिल्ली व्ही. एस. डिव्हीजन,
पश्चिम खंड -१, आर के पुरम, नवी दिल्ली -११००६६



सं. 1/7/2011 - वीएस - (सीआरएस) / 618

भारत सरकार

Government of India

गृह मंत्रालय

Ministry Of Home Affairs

भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय

Office Of The Registrar General, India

जीवनांक प्रभाग, पश्चिमी खंड-1, आर.के.पुरम, नई दिल्ली- 110066

V.S. Division, West Block-I, R.K. Puram, New Delhi-110066

टेली.-फैक्स: 26104012 Tele.-Fax: 26104012

drg_crs.rgi@censusindia.gov.in

दिनांक: 15.05.2015

MIS
सेवा में,

सभी मुख्य रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु।

विषय: दत्तक-ग्रहण किए गए बच्चों के जन्म रिकार्ड में प्रविष्टि/परिवर्तन करने विषयक स्पष्टीकरण।

महोदय,

कृपया इस कार्यालय के दिनांक 12 मार्च, 2012 के समसंख्यक पत्र का संदर्भ लें जिसके द्वारा दत्तक किए गए बच्चों के जन्म रिकार्ड में प्रविष्टि करने/परिवर्तन करने से संबंधित कार्यप्रणाली तैयार करने के लिए अनुदेश जारी किए गए थे। बाद में, 2011 के केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संचालन प्राधिकरण करने के लिए अनुदेश जारी किए गए थे। बाद में, 2011 के केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संचालन प्राधिकरण (कारा) (CARA) के दिशा-निर्देशों पर विचार करते हुए, इस कार्यालय ने दिनांक 25 अगस्त, 2014 के समसंख्यक पत्र द्वारा एक स्पष्टीकरण जारी किया गया था जिसके द्वारा गोद लिए गए बच्चों के जन्म समसंख्यक पत्र द्वारा एक स्पष्टीकरण जारी किया गया था जिसके द्वारा गोद लिए गए बच्चों के जन्म के पंजीकरण और उन्हें जन्म प्रमाणपत्र जारी करने के लिए दत्तक-ग्रहण विलेख और दत्तक-ग्रहण आदेश (दोनों) का प्रस्तुत करना अनिवार्य कर दिया गया था।

2. उपर्युक्त स्पष्टीकरण की प्रतिक्रिया में, गैर-संस्थागत दत्तक-ग्रहण के संबंध में दत्तक-ग्रहण आदेश और दत्तक-ग्रहण विलेख प्रस्तुत करने के संबंध में कुछ प्रश्न/शंकाएं इस कार्यालय में प्राप्त हुई थीं। इस संबंध में, यह उद्घृत किया जाना है कि गैर-संस्थागत दत्तक-ग्रहण “हिन्दू दत्तक-ग्रहण और भरण-पोषण (एचएएमए) (HAMA) अधिनियम, 1956” के प्रावधान के अंतर्गत किए जाते हैं और इस अधिनियम की धारा 16 के अंतर्गत; केवल दत्तक-ग्रहण विलेख अर्थात् किसी कानून के अंतर्गत पंजीकृत और दोनों पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित दस्तावेज प्रस्तुत करना ही पर्याप्त है। इस संबंध में, दत्तक-ग्रहण विलेख की प्रामाणिकता की जांच केवल एचएएमए अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित मानदण्डों के आधार पर ही करनी पड़ेगी।

①
36/21

3. संबंधियों/परिचितों में दत्तक लेने के मामले में, सामान्य जनता द्वारा दत्तक-ग्रहण आदेश प्रस्तुत करने में आ रही कठिनाईयों को दूर करने के लिए इस मामले की समीक्षा की गई तथा महिला और बाल विकास मंत्रालय के केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (कारा) के साथ विचार-विमर्श भी किया गया है। तदनुसार, यह निर्णय लिया गया है कि देश के अन्दर संबंधियों अथवा परिचितों में से गैर-संस्थागत दत्तक-ग्रहण के लिए पंजीकृत दत्तक-ग्रहण (Adoption deed) विलेख पर्याप्त है। ऐसे मामलों के लिए किसी न्यायालय के दत्तक ग्रहण आदेश प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी।

4. फिर भी, जन्म रिकार्ड में शुद्धियां करने अथवा पंजीकृत करने से पहले, दत्तक-ग्रहण विलेख की सत्यता जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रार द्वारा सत्यापित की जानी चाहिए और यदि राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत उप रजिस्ट्रार के समक्ष विधिवत पंजीकृत दत्तक-ग्रहण विलेख वैध पाया जाता है तो संबंधित रजिस्ट्रार को दत्तक-ग्रहण विलेख में दी गई सूचना के आधार पर जन्म रिकार्ड में आवश्यक परिवर्तन करने चाहिए और दत्तक माता-पिता और बच्चे का नाम दर्ज करके दत्तक बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र जारी करना चाहिए। इससे आगे, यह भी स्पष्ट किया गया है कि गैर-संस्थागत घटना के मामले में, यदि दत्तक बच्चे की आयु एक वर्ष से अधिक है और उसका जन्म पहले से पंजीकृत नहीं पाया गया है तब जन्म और मृत्यु पंजीकरण (आरबीडी) अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार विनियमित पंजीकरण प्रावधान के अंतर्गत स्थानीय मजिस्ट्रेट का आदेश भी उक्त घटना के पंजीकरण से पहले प्राप्त कर लेना चाहिए।

5. उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए और दत्तक बच्चों के जन्म प्रमाणपत्र प्राप्त करने में सामान्य जनता के सामने आने वाली कठिनाईयों के मद्देनजर आपसे अनुरोध है कि उपर्युक्त विषयवस्तु को संबंधित अधिकारियों को भेजें और उन्हें निदेश दें कि दत्तक बच्चों के जन्म प्रमाणपत्र प्राथमिकता के आधार पर जारी करें और सुनिश्चित करें कि दत्तक माता-पिता द्वारा संबंधित रजिस्ट्रार को दस्तावेज के प्रस्तुत करने की तारीख से 7 से 10 दिनों के अन्दर वांछित जन्म प्रमाणपत्र जारी कर दिया जाए। इस संबंध में की गई कार्रवाई से इस कार्यालय को अवगत करवाएं।

भवदीया

पी.ए.मिनी

(पी.ए.मिनी)

उप महारजिस्ट्रार (सीआरएस)